संचालनालय चिकित्सा शिक्षा,
मध्यप्रदेश

क्रमांक 2843/पीजी/4/संचिशि/2013 भोपाल, दिनांक 26/08/2013

प्री0पी0जी0 प्रवेश परीक्षा 2013 की ऑफ–लाईन काउंसिलिंग की सूचना

मध्यप्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों की पी.जी. (स्नातकोत्तर)डिग्री/डिप्लोमा सीटों पर ऑफ लाईन काउसलिंग का कार्यक्रम एवं महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश

नीट (**NEET**) पी.जी. प्रवेश परीक्षा 2013 में भाग लेने वाले उम्मीद्वारों को घोषित परीक्षा परिणामों के आधार पर जारी प्रावीण्य सूची (मेरिट) के अनुसार चयनित उम्मीद्वारों को डिग्री एवं डिप्लोमा की रिक्त सीटों पर नियमानुसार आवंटन प्रदान करने हेतु प्री–पीजी, 2013 की ऑफ–लाईन काउंसलिंग का आयोजन दिनांक 29/08/2013 से दिनांक 30/08/2013 तक प्रातः 10.30 बजे से दर्शाये गये कार्यक्रम अनुसार गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में किया जा रहा है ।

रिक्त सीटों की वास्तविक संख्या काउंसलिंग स्थल पर उपलब्ध कराई जा सकेगी ।

//कार्यक्रम//

दिनांक	कार्यक्रम	वे उम्मीद्वार जिन्हें उपस्थित होना है	पात्रता
29.08.2013	स्क्रूटनी एवं आवंटन	– समस्त सेवारत उम्मीदवार । – नीट पी0जी0 2013 के मेरिट क्रमांक 01 से 15000 तक के गैर सेवारत् उम्मीदवार ।	महत्वपूर्ण दिशा–निर्देशों में उल्लेखित पात्रता अनुसार
30.08.2013	स्क्रूटनी एवं आवंटन	– नीट पी0जी0 2013 के मेरिट क्रमांक 15001 से 72000 तक के गैर सेवारत् उम्मीदवार ।	महत्वपूर्ण दिशा–निर्देशों में उल्लेखित पात्रता अनुसार

//महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश //

1– आयोजित की जा रही काउंसलिंग के संबंध में उम्मीदवार को पृथक से कॉल लेटर नियमानुसार जारी नहीं किये जा रहे है ।

2– उपरोक्त आयोजित काउसंलिंग में केवल वे ही उम्मीदवार भाग ले सकेंगें जिन्होने पूर्व में आयोजित ऑनलाईन काउंसलिंग में एम0पी0ऑनलाईन पर पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करवाया है ।

3– उक्त आयोजित काउसंलिंग नीट पी0जी0 2013 द्वारा प्रदत्त एकजाई मेरिट सूची के आधार पर मेरिट अनुसार की जाएगी ।

4– पूर्व में आयोजित ऑनलाईन काउसंलिंग में ऐसे पंजीकृत (रजिस्टर्ड) उम्मीदवार जिनकों ऑनलाईन काउंसलिंग के किसी भी चरण में कोई भी सीट आवंटित हुई थी एवं उन्होनें **Satisfied/Accepted** का आप्शन (**Option**) दिया था तथा आवंटित सीट पर प्रवेश ले लिया था एवं वर्तमान में उस सीट पर प्रवेशित/अध्ययनरत् है ऐसे समस्त उम्मीदवार इस ऑफ–लाईन काउसंलिंग में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगें ।

5– वे पंजीकृत सेवारत् एवं गैर सेवारत् उम्मीदवार जिन्होनें काउंसलिंग के पूर्व के चरणों में आवंटित सीट पर_ प्रवेश लिया था तथा अपग्रेडेशन का विकल्प भरा था तथा वे समस्त पंजीकृत उम्मीदवार जिन्हें काउसंलिंग के पूर्व के चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई थी, ऑफ–लाईन काउसंलिंग में भाग लेने के पात्र होंगें ।

6– ऑफ–लाईन काउसंलिंग में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को कार्यक्रम अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसलिंग स्थल पर अपने मूल अभिलेखों के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

7– जिन उम्मीदवारों के मूल अभिलेख मध्यप्रदेश राज्य के शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों में जमा है उन्हें संस्था प्रमुख का तत्संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर काउसंलिंग में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी ।

8– राज्य शासन के द्वारा निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की सीटों पर मध्यप्रदेश शासन के कोटे से प्रवेशित छात्रों के द्वारा भी संस्था प्रमुख का उम्मीदवार के मूल अभिलेख जमा होने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर काउसंलिंग में भाग लेने की पात्रता होगी ।

9– अन्य सभी उम्मीदवारों को अपने मूल अभिलेख लेकर काउसंलिंग में आना अनिवार्य है ।

हस्ता/–
संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश